

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Jail Appeal No. 382/1995

Salendra Singh S/o Ayodhya Singh

R/o Dungarpur

Vinod Singh S/o Ayodhya Singh

R/o Dungarpur

----Petitioner

Versus

State

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kishan Singh

For Respondent(s) : Mr. Rajesh Bhati
Mr. Ravindra Singh

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI
Order

08/12/2025

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु (राजस्थान) के द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंड के बिंदु पर दिए गए निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.07.1995 से व्यथित एवं क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा संपूर्ण विचारणोपरान्त अपीलार्थी विनोदसिंह को धारा 307 भा.दं.सं. के अपराध के लिए पांच साल का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने के दंड से दंडित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का साधारण कारावास और भुगतेगा अभियुक्त को धारा 25 एवं 27 भारतीय आयुद्ध अधिनियम के जुर्म के लिए तीन-तीन माह का साधारण कारावास एवं दो-दो सौ रुपये अर्थदण्ड प्रत्येक में से दंडित किया गया अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त एक एक माह का साधारण कारावास और भुगतेगा व अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह को धारा 307/34 भा.दं.सं. के अपराध के लिए पांच साल का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के

अर्थ दंड से दंडित किया गया अदम अदायगी अर्थ दंड अभियुक्त तीन माह का साधारण कारावास और भुगतेगा के तहत दोषसिद्ध किया।

3. यद्यपि यह अपील दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दोनों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है किंतु बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में वे दोषसिद्धि के निर्णय को दी गई चुनौती के संबंध में अपील पर बल नहीं देते हैं। परंतु इसी समय विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि दंडादेश के संबंध में पारित आदेश प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों, अभियुक्तगण की परिस्थितियों एवं वे परिस्थितियां जिनमें अपराध हुआ, अपराध के बाद बीते हुए समय में अभियुक्तगण का आचरण, उनका पूर्व चरित्र, उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए एवं सजा के सुधारात्मक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दंड के परिमाण पर नरमी का रुख अपनाते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया जाता है।

4. यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दोषसिद्धि के निर्णय पर दी गई चुनौती पर बल नहीं देना प्रकट किया है फिर भी संतोष करने के लिए इस न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य का सरसरी तौर पर अवलोकन किया एवं यह पाया कि निस्संदेह अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है जो अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है अतएव अपीलार्थीगण की यह अपील दोषसिद्धि के निर्णय की सीमा तक निरस्त की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

5. जहां तक दंडादेश के आदेश को भुगती हुई सजा में परिवर्तित करने के संबंध में निवेदन किया गया है, इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया

और पाया कि यह तथ्यात्मक सच्चाई है कि घटना को 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं, इतने वर्षों तक अभियुक्तगण—अपीलार्थीगण ने न्यायिक प्रक्रिया का मानसिक आघात सहा है, उनको आर्थिक और शारीरिक क्षति भी हुई है, वे कुछ समय अभिरक्षा में भी रहे हैं तथा घटना के समय उनकी आयु और उनकी वर्तमान आयु को भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ—साथ यह भी देखा गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण—अपीलार्थीगण को परिवीक्षा का लाभ देने के संबंध में युक्तियुक्त रूप से विचार नहीं किया है, जबकि मामला आजीवन कारवास एवं मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध से संबंधित नहीं है और मामले में धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता अथवा धारा 3 एवं 4 परिवीक्षा अधिनियम, 1961 के प्रावधान भी आकर्षित हो सकते थे। इतने वर्षों पश्चात् अब यह समीचीन नहीं होगा कि अभियुक्तगण—अपीलार्थीगण को अगले एक वर्ष या कुछ समय के लिए अपने आचरण को संयमित रखने बाबत् कहा जाए। अभियुक्तगण के पूर्ववर्ती आचरण के संबंध में कोई विपरित सामग्री उपलब्ध नहीं है। पूर्व दोषसिद्धि का कोई आक्षेप भी नहीं है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय यह समीचीन एवं न्याय की दृष्टि से उचित समझता है कि अभियुक्तगण के द्वारा अनुसंधान एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पश्चात् जो अवधि कारावास में गुजारी है उतना दंड प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके लिए पर्याप्त है। दंड के सुधारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश करना उचित समझा जाता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को परिवर्तित कर अभियुक्तगण के द्वारा अब तक भुगती हुई सजा में दंडादेश को परिवर्तित कर दिया जावे।

6. उक्तानुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आपराधिक प्रकरण संख्या 113/1989 में विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश दिनांक 24.07.1995 को परिवर्तित कर अभियुक्तगण—अपीलार्थीगण को उसकी अब तक भुगती हुई सजा में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि इस न्यायालय की राय में यह न्याय की प्राप्ति के लिए पर्याप्त होगा।
7. अभियुक्तगण को पुनः समर्पण की आवश्यकता नहीं है। लंबित समस्त प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निरस्त समझे जावे।
8. एतद्द्वारा अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके समाप्त किए जाते हैं।
9. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पुनः प्रेषित किया जावे।

(FARJAND ALI),J